छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2020 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार,दिनांक 28 दिसम्बर,2020 (पौष 7,1942)

समय 11:00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्री झितरूराम बघेल, छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य।

2. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 13 सन् 2013) की धारा 19 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार –

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 13–23/2012/आ.प्र./1–3, दिनांक 24 सितम्बर,2020

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 13–23/2012/आ.प्र./1–3, दिनांक 15 अक्टूबर,2020

पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (क्रमांक 67 सन् 1957) की धारा 28 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार –

(i) अधिसूचना क्रमांक एफ 7–19/2015/12, दिनांक 27 मई,2020

(ii) अधिसूचना क्रमांक एफ 7–19/2015/12, दिनांक 3 जून,2020,

(iii) अधिसूचना क्रमांक एफ 6–42/2012/12, दिनांक 26 जून,2020

पटल पर रखेंगे।

(3) श्री ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का आठवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–19 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री टी.एस. सिंहदेव, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2019–20 (दिनांक 01 जुलाई, 2019 से 30 जून,2020 तक) पटल पर रखेंगे।

क्रमशः 2

(5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019–20 पटल पर रखेंगे।

(6) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, वक्फ अधिनियम, 1995 (क्रमांक 43 सन् 1995) की धारा 111 की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 19–32/2011/25–2, दिनांक 18 नवम्बर,2020 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ नियम 2020 पटल पर रखेंगे।

(7) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996 (क्रमांक 15 सन् 1996) की धारा 13 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018–2019 एवं 2019–2020 पटल पर रखेंगे।

(8) श्री कवासी लखमा, वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2017–18 पटल पर रखेंगे।

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य, जिला राजनांदगांव के नगर पालिका परिषद खैरागढ़ एवं नगर पंचायत छुईखदान क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री धरमलाल कौशिक, नारायण चंदेल, सदस्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मियों के नियमितिकरण की कार्यवाही नहीं होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला कोरबा एवं अन्य सीमावर्ती जिलों में स्थापित कल कारखानों, उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषण होने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्रीमती अनिता योगेन्द्र शर्मा, सदस्य, प्रदेश में शासन की योजनाओं का लाभ छात्र–छात्राओं को नहीं मिलने की ओर महिला एवं बाल विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(5) श्री ननकीराम कंवर, सदस्य, प्रदेश में इंडियन रेडक्रॉस सोसायटी द्वारा दवाई दुकानों का संचालन निजी व्यक्तियों को ठेके पर दिये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) डॉ. रमन सिंह, श्री शिवरतन शर्मा, श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, राजनांदगांव जिले के बसंतपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन गैस रिसाव व विस्फोट से मरीजों की मौत होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

(7) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, प्रदेश में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ मरीजों को नहीं मिलने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में अनाचार की घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, रायपुर नगर निगम व रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा टेण्डर प्रक्रिया में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय द्वारा नामांकन शुल्क की राशि में वृद्धि किये जाने की ओर कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार मंत्री का ध्यानं आकर्षित करेंगे।

(11) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में जल स्त्रोतों की जांच और दूषित जल स्त्रोतों का सुधार नहीं किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) सर्वश्री धर्मजीत सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में जल जीवन मिशन योजना में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जांजगीर–चांपा जिले में संचालित रेशम परियोजना में अनियमितता किये जाने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) डॉ. विनय जायसवाल, हाथकरघा बुनकर संघ के तत्कालिक सचिव एवं ग्रामोद्योग विभाग के संयुक्त संचालक द्वारा अनियमितता किये जाने की ओर ग्रामोद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश के भंडारण केन्द्र में मार्कफेड द्वारा कृषि खाद परिवहन में अनियमितता किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री रामकुमार यादव, सदस्य, जिला जांजगीर–चांपा में स्थापित अथेना पावर प्लांट लिमिटेड की स्थापना के पश्चात् भी संचालन नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(18) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, जशपुर जिले की दो वृहद सिंचाई परियोजनाओं के हवाई सर्वेक्षण के कार्य में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, उप संचालक, कृषि, रायगढ़ द्वारा सामग्री खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, जिला राजनांदगांव अंतर्गत ग्राम लखोली निवासी की निजी हक की भूमि का सीमांकन नहीं किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) श्री संतराम नेताम, सदस्य, बकावंड स्थित रजा राईस मिल से सुकमा वेयरहाऊस में पहुंचाये जाने वाले चावल की हेराफेरी किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में बिकने वाले खाद्य पदार्थों का परीक्षण नहीं किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत अवैध रूप से गुटखा निर्माण किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी।

(24) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में दुर्घटनाओं से मौतें होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) श्री प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य, जिला जांजगीर–चांपा में श्याम एग्रो उद्योग द्वारा ग्राम बनारी, हाथीटिकरा में स्थित रक्सा नाले को बंद किये जाने की ओर लोक निर्माण मंत्री का ध्यान आकर्षित

(26) सर्वश्री धरमलाल कौशिक, अजय चन्द्राकर, नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में पुलिस भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(27) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, शिवरतन शर्मा, अजय चन्द्राकर, सदस्य, प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(28) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में अपराधिक घटनाओं में वृद्धि होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(29) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू , सदस्य, नगर पालिक निगम धमतरी द्वारा शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत निर्माण कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(30) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य, जिला जांजगीर–चांपा के निजी स्कूल के संचालकों को आर.टी.ई. की राशि नहीं मिलने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(31) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य, प्रदेश में डी.एम.एफ. के अंतर्गत भण्डार क्रय नियम का उल्लंघन किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(32) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, कोरबा जिले के इनडस उद्योग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग एवं ग्रीन बेल्ट की स्थापना नहीं किये जाने की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(33) श्री केशव प्रसाद चन्द्रा, सदस्य, जिला जांजगीर–चांपा में कोरोना वायरस (कोविड–19) हेतु सामग्री खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

5. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक– 64, दुर्ग शहर के सदस्य, श्री अरूण वोरा को दिसम्बर, 2020 सत्र में सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा।

क्रमशः 5

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य, बस्तर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम पंचायत तारापुर में भसकानी नदी पर स्टापडेम निर्माण करने,

(ii) ग्राम पंचायत बागमोहलई में बालक एवं बालिका छात्रावास स्वीकृत करने,

(2) श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य, अभनपुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खोरपा में जवाहर चौक से शीतला मंदिर होते हुए मुख्य मार्ग तक सी.सी. रोड निर्माण करने,

(3) श्री प्रकाश शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम सिहा से कोतासुरा होते हुए गोतमा चौक तक पक्की सड़क निर्माण करने,

(ii) रायगढ़–सरिया मुख्यमार्ग में महानदी पुल के दोनों तरफ एप्रोच रोड का नवीनीकरण करने,

(iii) नगर पंचायत सरिया में हायर सेकेण्डरी स्कूल हेतु नवीन भवन निर्माण करने,

(iv) ग्राम कोतासुरा में हाईस्कूल खोलने तथा

(4) श्री पुरूषोत्तम कंवर, सदस्य, जिला–कोरबा, विकासखण्ड पाली अंतर्गत ग्राम नोनबिर्रा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे।**

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय

30 मिनट (1) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 30 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (2) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 31 सन् 2020)पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (3) श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 32 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (4) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 33 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (5) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) विधेयक,2020(क्रमांक 34 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

क्रमशः 6

निर्धारित समय
30 मिनट (6) श्री जयसिंह अग्रवाल, वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– भारतीय स्टाम्प (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 36 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

8. शासकीय संकल्प

1 घंटा श्री कवासी लखमा,वाणिज्य एवं उद्योग, मंत्री निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:– यह सदन केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि "भारत सरकार के उपक्रम एन.एम.डी.सी. द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र, जिला–बस्तर का केन्द्र सरकार द्वारा रणनीतिक विनिवेश के नाम पर प्रस्तावित निजीकरण की प्रक्रिया को निरस्त किया जाये।"

9. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट (1) प्रदेश में हाथियों का उत्पात एवं हाथियों की मौत होने के संबंध में श्री धरमलाल कौशिक, नेता प्रतिपक्ष, चर्चा उठायेंगे।

1 घंटा 30 मिनट (2) प्रधानमंत्री शहरी एवं ग्रामीण आवास योजना 2015 के तहत् प्रदेश के सभी हितग्राहियों को संबद्ध लक्ष्यों के साथ लाभान्वित किये जाने के संबंध में श्री अजय चंद्राकर, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

10. प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव

श्री मोहन मरकाम, सभापति, विशेषाधिकार समिति, प्रस्ताव करेंगे कि – विशेषाधिकार समिति को जांच, अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 27 दिसम्बर,2020